

आदेश

श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री प्रवीन कुमार, पंच, ग्राम पंचायत बैजलपुर, वार्ड नं० 10, खण्ड भूना, जिला फतेहाबाद द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 07.07.2025 जो उपायुक्त, फतेहाबाद के सिफारिश पत्र क्रमांक 4431/पंचायत दिनांक 26.08.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

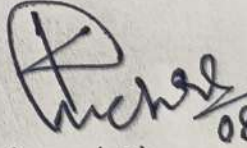
चण्डीगढ़, दिनांक
30.09.2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०२-2025/ 50603-09 दिनांक : 8/10/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, फतेहाबाद के सिफारिश पत्र क्रमांक 4431/पंचायत दिनांक 26.08.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भूना (जिला फतेहाबाद)।
5. संरपच, ग्राम पंचायत बैजलपुर, खण्ड भूना, जिला फतेहाबाद।
6. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री प्रवीन कुमार, निवासी गांव बैजलपुर, तहसील व जिला फतेहाबाद।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।


08/10/2025

अधीक्षक (चु०)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Gorind/Mohit